

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या. 82/2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020
30 श्रवण, शक, 1942

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 27/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 28 मार्च, 2018, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित करी जायेगी, यथा:-

“14. नासिक” ।

(फाइल संख्या 451/11/2020-सीमाशुल्क V)

(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 28 मार्च, 2018 तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।